[2019] 7 एस.सी.आर. 893

राकेश तिवारी, अधिवक्ता

बनाम

आलोक पांडे, सी.जे.एम.

(आपराधिक अपील संख्या 1223 2015)

10 मई 2019

**[अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा, जे.जे.]**

*न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 - उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता-अधिवक्ता 2-3 कनिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ सीजेएम के कक्ष में दाखिल हुए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया और साथ ही उन पर हमला करने का प्रयास किया - अपीलकर्ता को उनके अवांछनीय आचरण के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था न्यायालय की अवमानना अधिनियम - अपीलकर्ता को छह महीने के साधारण कारावास और 2000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई और जुर्माना न भरने की स्थिति में 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई - अपीलकर्ता को आगे निर्देशित किया गया छह महीने तक जिला जजशिप के परिसर में प्रवेश न करने और दो साल की अवधि के लिए जिला जज की निरंतर निगरानी में रहने की - अपील पर, कहा गया: विचाराधीन वकील ने दायित्वों के विपरीत काम किया - उसने एक बुरा उदाहरण स्थापित किया है न्यायालय और न्यायाधीश की गरिमा को नष्ट करते हुए दूसरों के सामने - कदाचार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक अवमानना के लिए दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, अपीलकर्ता की सजा को संशोधित किया गया: (i) 6 महीने के कारावास की सजा को आगे की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। 3 साल की सज़ा, बशर्ते कि वह अच्छा और उचित आचरण बनाए रखे, इस शर्त के साथ कि अपीलकर्ता पहले से झेली गई अवधि के अलावा 3 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए जिला जजशिप के परिसर में प्रवेश न करे - उपरोक्त शर्त का उल्लंघन न करने की स्थिति में 3 साल के बाद की सज़ा होगी। माफ किए जाने वाले वर्ष (ii) हालांकि, तीन साल की अवधि के दौरान संबंधित वकील द्वारा किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में कारावास की सजा सक्रिय की जाएगी - (iii) अपीलकर्ता*

*को उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए 2000 रुपये जमा करने होंगे और उक्त राशि जमा करने में विफलता के मामले में, अपीलकर्ता को तीन महीने की अवधि के लिए जिला न्यायाधीश के परिसर में प्रवेश न करने का निर्देश दिया गया।*

*व्यावसायिक नैतिकता - अधिवक्ता - आयोजित: न्याय वितरण प्रणाली में एक वकील की भूमिका अपरिहार्य है - उसे पेशेवर नैतिकता का पालन करना होता है और उच्च मानकों को भी बनाए रखना होता है - उसे अदालत की सहायता करनी होती है और अपने ग्राहक के हितों की रक्षा भी करनी होती है - वह उसे अपने प्रतिद्वंद्वी और उसकी सलाह को भी उचित सम्मान देना होगा - समाज में दूसरों के लिए जो उचित हो सकता है, वह उसके लिए अनुचित हो सकता है क्योंकि वह समाज के एक बौद्धिक वर्ग से है और महान पेशे का सदस्य है। उनसे अपेक्षाएँ तदनुसार अधिक हैं - अधिवक्ताओं को समाज में उच्च सम्मान में रखा जाता है - न्यायालय की गरिमा वास्तव में उस प्रणाली की गरिमा है जिसका एक वकील अदालत का अधिकारी होता है।*

***कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए***

**माना: 1. वर्तमान मामले में, वकील ने दायित्वों के विपरीत कार्य किया है। उन्होंने कोर्ट और जज की गरिमा को तार-तार करते हुए दूसरों के सामने खराब उदाहरण पेश किया है.' इस कार्रवाई से अदालतों पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। न्यायपालिका लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है और समाज के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक है। न्यायाधीश को निर्भीक एवं निष्पक्ष होकर न्याय करना होगा। उसे किसी भी तरह से डराया-धमकाया नहीं जा सकता या गालियां देकर अपमानित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश डरपोक संत नहीं हैं. उन्हें निडर उपदेशक बनना होगा ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखा जा सके जो लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है। [पैरा 15]**

**2. यह कृत्य न्यायालय की आपराधिक अवमानना के समान है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि संबंधित वकील ने माफी नहीं मांगी और अधीनस्थ न्यायालय को बदनाम और बदनाम किया है। उन्होंने खुलेआम इनकार किया है और अपने कदाचार के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया है। आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने एसआई को 6 महीने की कैद और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माना न भरने पर 15 दिनों के लिए एसआई की सजा भुगतनी होगी। उन्हें 15.7.2015 से शुरू होने वाली 6 महीने की अवधि के लिए इलाहाबाद के जजशिप में प्रवेश करने से रोक दिया गया है और उन्हें 2 साल की अवधि के लिए निगरानी में**

**रखा गया है। कदाचार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक अवमानना के लिए दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, उसकी सजा को निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया गया है:**

**1. 6 महीने की कारावास की सजा उसके अच्छे और उचित आचरण को बनाए रखने के अधीन 3 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए निलंबित रहेगी, इस शर्त के साथ कि वह तीन साल की अतिरिक्त अवधि के लिए जिला जजशिप, इलाहाबाद के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त जो वह पहले ही झेल चुका है। यह अवधि 1.7.2019 से 30.6.2022 तक शुरू होगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन न करने की स्थिति में तीन वर्ष के बाद की सजा माफ कर दी जाएगी।**

**2. हालाँकि, यदि यह पाया जाता है कि तीन साल की अवधि के दौरान संबंधित वकील द्वारा की गई किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया है, तो इस न्यायालय द्वारा कारावास की सजा को सक्रिय किया जा सकता है।**

**3. वह उच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया 2000 रुपये का जुर्माना जमा करेगा। जुर्माना जमा न करने की स्थिति में वह तीन महीने की अवधि तक जिला जजशिप के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। [पैरा 16]**

श्रीमान 'जी', सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता **ए.आई.आर 1954 एससी 557**; ललित मोहन दास बनाम महाधिवक्ता, उड़ीसा **एआईआर 1957 एससी 250: [1957] एससीआर 167;** सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य। **(1998) 4 एससीसी 409 : [1998] 2 एससीआर 795** ; प्रवीण सी. शाह बनाम. के.ए. मो. अली और अन्य. **(2001) 8 एससीसी 650 : [2001] 3 आपूर्ति. एससीआर 675** ; बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम हाई कोर्ट केरल के **(2004) 6 एससीसी 311: [2004] 1 पूरक। एससीआर 649 ;** आर के आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय **(2009) 8 एससीसी 106:[2009] 11 एससीआर 1026 - पर निर्भर**

**<u>केस कानून संदर्भ</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **[1957] एससीआर 167** | **पर भरोसा** | **पैरा 10** |
| **[1998] 2 एससीआर 795** | **पर भरोसा** | **पैरा 11** |
| **[2001] 3 पूरक। एससीआर 675** | **पर भरोसा** | **पैरा 12** |
| **[2004] 1 पूरक। एससीआर 649** | **पर भरोसा** | **पैरा 13** |
| **[2009] 11 एससीआर 1026** | **पर भरोसा** | **पैरा 14** |

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2015 की आपराधिक अपील संख्या 1223

2013 के अवमानना आवेदन (आपराधिक) संख्या 8 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 10.07.2015 से

विश्वजीत सिंह, पंकज सिंह, सुश्री रिधिमा सिंह, सुश्री विजया सिंह, सुश्री आकांशा सिंह, श्री सुष्मित चौहान (मैसर्स विधि इंटरनेशनल के लिए), सलाहकार। अपीलकर्ता के लिए

यशवर्धन, जगजीत सिंह छाबड़ा, अधिवक्ता। प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

**अरुण मिश्रा, जे.**

1. अपीलकर्ता, वकील को अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अपने अवांछनीय आचरण के लिए दोषी ठहराया गया है और छह महीने के साधारण कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 2000/- जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे 01.01.2017 से छह महीने की अवधि के लिए जिला जजशिप, इलाहाबाद के परिसर में प्रवेश न करें। 15.7.2015 और अवमाननाकर्ता दो साल की अवधि के लिए जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद की निरंतर निगरानी में रहेगा; और किसी भी आपत्तिजनक आचरण के मामले में, जिससे अदालत

के शांतिपूर्ण और सुचारू कामकाज में हस्तक्षेप होता है, जिला न्यायाधीश को मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को देने के लिए कहा गया है।

2. अवमाननाकर्ता पर निम्नलिखित आशय की आपराधिक अवमानना का आरोप लगाया गया है:

> "श्री राकेश त्रिपाठी, अधिवक्ता, 21 दिसंबर, 2012 को दोपहर के भोजन के समय सी.जे.एम., इलाहाबाद से अनुमति लिए बिना 2-3 सहयोगियों के साथ उनके कक्ष में घुस गए और उस समय उसने सीजेएम को गंदी-गंदी गालियां देना शुरू कर दिया और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर हाथ उठाने के लिए हाथ भी उठाया और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। अवमाननाकर्ता ने सी.जे.एम. से यह भी पूछा। उन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज करने का आदेश क्यों नहीं पारित किया? जब उसने वही माँगा था। अवमाननाकर्ता का यह कृत्य न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) के अर्थ के तहत आपराधिक अवमानना का गठन करता है, क्योंकि इस अधिनियम ने न केवल न्यायालय के अधिकार को कम किया है, बल्कि न्यायालय को बदनाम भी किया है और साथ ही इसने न्याय प्रशासन की उचित प्रक्रिया में हस्तक्षेप की प्रवृत्ति।"

3. अवमाननाकर्ता द्वारा इस आशय का उत्तर दाखिल किया गया कि उसने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत 19.10.2012 को अखिलेश कुमार शुक्ला की ओर से एक आवेदन दायर किया था। जिसकी सुनवाई सी.जे.एम. ने की। आदेश पारित करने के लिए 30.10.2012 और 8.11.2012 को इलाहाबाद की तारीख तय की गई थी। अवमाननाकर्ता ने आरोप लगाया कि 8.11.2012 को आदेश की घोषणा से पहले उसने एक आरोपी, शरद टंडन, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, इलाहाबाद को सीजेएम के कक्ष में बैठे देखा। उन्हें आशंका थी कि उनके मुवक्किल को न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए, उन्होंने 8.11.2012 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर किया कि कोई भी आदेश पारित न किया जाए क्योंकि अवमाननाकर्ता जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद के समक्ष स्थानांतरण आवेदन दायर करने को तैयार था। सीजेएम ने कोई आदेश पारित न करने का आश्वासन दिया, लेकिन वास्तव में उसी दिन सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर आवेदन को 2012 के केस संख्या 13500 के रूप में दर्ज एक शिकायत मामले में परिवर्तित करके एक आदेश पारित किया। सीजेएम ने आवेदन वापस ले लिया। अभिलेख। इसके बाद, अवमाननाकर्ता

ने 9.11.2012 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के समक्ष सीजेएम, इलाहाबाद के खिलाफ शिकायत करते हुए एक आवेदन दायर किया।

4. अवमाननाकर्ता द्वारा धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत 30.11.2012 को एक और आवेदन दायर किया गया था। पी.सी. आलोक कुमार शुक्ला की ओर से उपस्थित वकील द्वारा। उन्होंने सीजेएम से कहा कि उन्होंने सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, इसलिए सीजेएम को कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए। इसे किसी अन्य अदालत को सौंपने के लिए इसे सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के समक्ष रखा जाना चाहिए। जनवरी, 2013 में अवमाननाकर्ता को पता चला कि सीजेएम ने 18.12.2012 को एक आदेश पारित किया था जिसमें दर्ज आवेदन को शिकायत मामला संख्या 1919/2013 के रूप में माना गया था। प्रारंभ में, इसे विविध आवेदन संख्या 1747/ XII/2012 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उसी में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. 21.12.2012 को वह सीजेएम के चैंबर में नहीं घुसा, न तो गाली-गलौज की और न ही मारने-पीटने की धमकी दी. उक्त तिथि को अधिवक्ता हड़ताल पर थे. सीजेएम के चैंबर में घुसने या गंदी भाषा का इस्तेमाल करने का सवाल ही नहीं उठता.

5. हाई कोर्ट ने पाया कि अवमाननाकर्ता ने 2-3 जूनियर वकीलों के साथ सीजेएम के चैंबर में प्रवेश किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया और साथ ही मारपीट करने का प्रयास किया। उनके द्वारा 8.11.2012 को सीजेएम के समक्ष कोई आदेश पारित नहीं करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। यह एक मनगढ़ंत कहानी थी. मजिस्ट्रेट ने आवेदन को सिरे से खारिज नहीं किया और शिकायतकर्ता से कहा कि वह सबूत पेश करे कि उसके पास कौन सा रास्ता उपलब्ध है। अवमाननाकर्ता ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया और पहले के मामले को दबाव में न आने के कारण खारिज करवा दिया और दूसरा आवेदन दायर किया। इस पर सीजेएम ने दोबारा शिकायत का मामला दर्ज कर लिया है। मामला विचाराधीन है जिसमें आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तों के प्रति सहानुभूति का आरोप निराधार, निराधार और अवमाननाकर्ता की कल्पना की उपज पाया गया है। अवमाननाकर्ता द्वारा किए गए बचाव की पुष्टि नहीं की गई है।

6. उच्च न्यायालय ने कहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ अधिवक्ताओं द्वारा अनाप-शनाप आरोप लगाने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए इस पर अंकुश लगाना होगा। गाली-गलौज और दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अधिवक्ता का कृत्य न्यायालय की गरिमा और महिमा को कम करने जैसा है। अधीनस्थ न्यायालय के एक न्यायिक अधिकारी को बदनाम करने का जानबूझकर किया गया प्रयास व्यवस्था में वादी जनता के विश्वास को हिला देगा और इससे सख्ती से निपटना होगा। क्षति न केवल न्यायाधीश की प्रतिष्ठा के लिए है, बल्कि न्यायपालिका के निष्पक्ष नाम के लिए भी है। न्यायाधीशों को वांछित आदेश प्राप्त करने के लिए ऐसी युक्तियों से वश में नहीं किया जा सकता। इस प्रणाली की नींव न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ-साथ न्याय प्रदान करने की जिम्मेदारी पर आधारित है। यदि उनका आत्मविश्वास, निष्पक्षता और प्रतिष्ठा हिलती है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है।

7. हमारी राय में, एक वकील का कर्तव्य है कि वह अदालत के एक अधिकारी के रूप में उसे दिए गए उच्च दर्जे के अनुसार कार्य करे। वह समाज और न्याय वितरण प्रणाली के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वकील का अपने द्वारा पारित न्यायिक आदेश के लिए न्यायाधीश को धमकाने या गालियां देने का कोई काम नहीं है। न्यायाधीश की शिकायत के मामले में, वकील के लिए संबंधित उच्च अधिकारियों से संपर्क करना खुला था, लेकिन बार के किसी भी सदस्य को न्यायालय की गरिमा को कम करने के लिए इस तरह के अशोभनीय आचरण में शामिल होने का कोई लाइसेंस नहीं है। इस तरह के प्रयासों को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाना चाहिए क्योंकि महान पेशे के सदस्य द्वारा इस तरह के हमले के लिए कोई जगह नहीं है। 8. न्याय वितरण प्रणाली में एक वकील की भूमिका अपरिहार्य है। उसे पेशेवर नैतिकता का पालन करना होगा और उच्च मानकों को भी बनाए रखना होगा। उसे अदालत की सहायता करनी है और अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा भी करनी है। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी और अपने वकील को भी उचित सम्मान देना होगा। समाज में दूसरों के लिए जो उचित हो सकता है, वह करना उसके लिए अनुचित हो सकता है क्योंकि वह समाज के एक बौद्धिक वर्ग से है और महान पेशे के सदस्य के रूप में, उससे अपेक्षाएँ तदनुसार अधिक हैं। समाज में अधिवक्ताओं को उच्च सम्मान दिया जाता है। न्यायालय की गरिमा वास्तव में उस व्यवस्था की गरिमा है जिसके अधिकारी होने के नाते एक

वकील न्यायालय का अधिकारी होता है। वर्तमान मामले में अधिवक्ता का कृत्य न केवल अनुचित है बल्कि घोर निंदा की आवश्यकता है

8. न्याय वितरण प्रणाली में एक वकील की भूमिका अपरिहार्य है। उसे पेशेवर नैतिकता का पालन करना होगा और उच्च मानकों को भी बनाए रखना होगा। उसे अदालत की सहायता करनी है और अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा भी करनी है। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी और अपने वकील को भी उचित सम्मान देना होगा। समाज में दूसरों के लिए जो उचित हो सकता है, वह करना उसके लिए अनुचित हो सकता है क्योंकि वह समाज के एक बौद्धिक वर्ग से है और महान पेशे के सदस्य के रूप में, उससे अपेक्षाएँ तदनुसार अधिक हैं। समाज में अधिवक्ताओं को उच्च सम्मान दिया जाता है। न्यायालय की गरिमा वास्तव में उस व्यवस्था की गरिमा है जिसके अधिकारी होने के नाते एक वकील न्यायालय का अधिकारी होता है। वर्तमान मामले में अधिवक्ता का कृत्य न केवल अनुचित है बल्कि घोर निंदा की आवश्यकता है।

9. इस न्यायालय द्वारा एआईआर 1954 एससी 557 में सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील श्री 'जी' के मामले में यह देखा गया है कि एक वकील को उच्च और सम्मानजनक पेशे के अनुरूप आचरण करना होगा। पैरा 41 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

> “41. .....
>
> "सामान्य कानूनी अधिकारों के साथ, लेकिन पेशेवर आचरण के विशेष और कठोर नियमों के साथ, जो विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के व्यक्तियों से अपेक्षित और लागू होते हैं, जो अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति के कारण, कुछ विकलांगताओं के अधीन हैं, जो नहीं हैं अन्य पुरुषों से जुड़ते हैं और जो गैर-पेशेवर चरित्र में भी उनसे नहीं जुड़ते हैं। ... वह [एक कानूनी व्यवसायी} खुद को उस उच्च और सम्मानजनक पेशे के अनुरूप आचरण करने के लिए बाध्य है जिसके विशेषाधिकारों के लिए उसे लंबे समय से भर्ती किया गया है; और यदि वह उन उच्च मानकों से हटता है जो उस पेशे ने अपने लिए निर्धारित किए हैं और पेशेवर मामलों में उसकी मांग है, तो वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

10. इसी प्रकार *ललित मोहन दास बनाम महाधिवक्ता, उड़ीसा एआईआर 1957 एससी 250* में, इस न्यायालय ने कहा:

> "बार के एक सदस्य का अपने मुवक्किल के प्रति निस्संदेह कर्तव्य है और उसे न्यायालय के समक्ष वह सब कुछ रखना चाहिए जो उसके मुवक्किल की ओर से ईमानदारी से और उचित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। वह यह भी कह सकता है कि कोई विशेष आदेश सही नहीं है और वह उस आदेश की समीक्षा के लिए भी कह सकता है। उसी समय, बार का एक सदस्य न्यायालय का एक अधिकारी होता है और उस न्यायालय के प्रति उसका कर्तव्य होता है जिसमें वह उपस्थित हो रहा है। उसे न्यायालय की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए और न्यायालय को बदनाम करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमारे सामने अपीलकर्ता ने खुले न्यायालय में मुंसिफ के खिलाफ पक्षपात और अनुचितता का आरोप लगाकर औचित्य की सीमा को पार कर लिया। यह सुझाव देकर कि मुंसिफ ने अपने आदेशों में किसी सिद्धांत का पालन नहीं किया, अपीलकर्ता चोट पर नमक छिड़क रहा था, क्योंकि क्षेत्राधिकार और न्यायालय शुल्क का प्रारंभिक बिंदु, जिस आदेश को उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण में बरकरार रखा था। इस तरह से न्यायालय को बदनाम करना वास्तव में न्याय के स्रोत को प्रदूषित करना है; अपीलकर्ता द्वारा किया गया ऐसा आचरण बार के किसी व्यक्तिगत सदस्य और न्यायिक सेवा के सदस्य के बीच का मामला नहीं था; इसने पूरे न्याय प्रशासन को बदनाम कर दिया। उस दृष्टिकोण से, अपीलकर्ता का आचरण अत्यधिक निंदनीय था।

11. मुख्य प्रश्न यह है कि मामले में दी जाने वाली सज़ा क्या होगी। *सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य में। (1998) 4 एससीसी 409,* इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि यद्यपि किसी न्यायालय के लिए प्रैक्टिस करने के लाइसेंस को निलंबित करना स्वीकार्य नहीं है, लेकिन साथ ही यह न्यायालय या उच्च न्यायालय के लिए खुला है कि वह किसी वकील को उपस्थित होने से रोक सके। अदालत। इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि यद्यपि किसी वकील को निलंबित करने का आदेश देना स्वीकार्य नहीं है, लेकिन जब उसे अदालत की अवमानना के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के लिए वकील को अदालत में उपस्थित होने से रोकना संभव है। न्यायालय ने देखा:

"80. किसी दिए गए मामले में, इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के लिए, यह संभव हो सकता है कि वह अवमाननाकर्ता वकील को उसके समक्ष उपस्थित होने से तब तक रोके जब तक वह खुद को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेता, लेकिन यह उसके लाइसेंस को निलंबित करने या रद्द करने या उसे प्रैक्टिस करने से रोकने से बहुत अलग है। एक वकील. एक एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के अवमाननापूर्ण, अपमानजनक, अशोभनीय या निंदनीय आचरण के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत, इस अदालत के पास एक एडवोकेट-एक रिकॉर्ड के रूप में अभ्यास करने के अपने विशेषाधिकार को वापस लेने का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि वह विशेषाधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है इस न्यायालय और विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति में इसे रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति भी शामिल है। हालाँकि, उस विशेषाधिकार को वापस लेने का मतलब अन्य अदालतों या न्यायाधिकरणों में वकील के रूप में अभ्यास करने के लिए उसके लाइसेंस को निलंबित या रद्द करना नहीं है।

12. *प्रवीण सी. शाह बनाम के.ए. में मो. अली और अन्य. (2001) 8 एससीसी 650*, इस न्यायालय ने पाया कि अवमानना का दोषी पाए गए एक वकील को अदालत में पेश होने का अनारक्षित अधिकार नहीं हो सकता है, अदालत उसे सुनने से इनकार कर सकती है:

"17. जब नियम यह निर्धारित करते हैं कि अदालत की अवमानना करने वाले व्यक्ति को बिना किसी हिचकिचाहट या पछतावे के अदालतों में पेश होने, पैरवी करने और मामलों का संचालन करने का अनारक्षित अधिकार नहीं हो सकता है, तो बार काउंसिल अदालती कार्यवाही के व्यवस्थित संचालन से संबंधित ऐसे विनियमन को खारिज नहीं कर सकती है। . कानून की अदालतें इस तरह से बनाई गई हैं कि सम्मान पैदा हो और कानून और न्याय की महिमा के प्रति श्रद्धा। कानून के अनुसार न्याय प्रदान करने की मशीनरी न्यायालय द्वारा संचालित होती है। अदालतों के अंदर कार्यवाही हमेशा गरिमामय और व्यवस्थित तरीके से होने की उम्मीद की जाती है। एक वकील की, जिसे पिछले घंटे अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया था, अदालत में खड़े होकर किसी मामले पर बहस करना या उसी दिन किसी गवाह से जिरह करना, उसके द्वारा अदालत में किए गए अपमानजनक व्यवहार से अप्रभावित होते हुए देखना, क्या होगा? अदालत की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया और यहां तक कि इसकी महिमा को भी नष्ट कर दिया, इसके अलावा अदालतों की संस्था की प्रभावकारिता में जनता के विश्वास को भी कम कर दिया। इससे ऐसी कार्यवाहियों के

दौरान अधिवक्ताओं के आचरण सहित अदालत के अंदर कार्यवाही को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। उस शक्ति को कानून का अभ्यास करने के अधिकार के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। जबकि बार काउंसिल बार काउंसिल पर नियंत्रण रख सकती है, वहीं उच्च न्यायालय को बार काउंसिल पर नियंत्रण होना चाहिए

*** *** ***

20. लॉर्ड डेनिंग ने हैडकिंसन बनाम हैडकिंसन 1952 (2) ऑल ईआर 567: (ऑल ईआर पी.575बी-सी) में इस प्रकार कहा था,

> "...मेरी राय है कि तथ्य यह है कि किसी उद्देश्य के लिए एक पक्ष ने एक आदेश की अवज्ञा की है अदालत स्वयं उसकी बात सुनने में बाधक नहीं है, लेकिन यदि उसकी अवज्ञा ऐसी है कि, जब तक यह जारी रहती है, यह न्याय के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे अदालत के लिए सच्चाई का पता लगाना और अधिक कठिन हो जाता है। या जो आदेश वह दे सकता है उन्हें लागू करने के लिए, तो अदालत अपने विवेक से उसे सुनने से इंकार कर सकती है जब तक कि बाधा दूर नहीं हो जाती या अच्छा कारण नहीं दिखाया जाता कि इसे क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए।

35. प्रतिवादी अधिवक्ता के लिए यह अभी भी खुला है कि वह ऊपर बताए गए तरीके से खुद को अवमानना से मुक्त कर ले। लेकिन जब तक वह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक प्रतिवादी वकील केरल उच्च न्यायालय के अधीन स्थित अधीनस्थ न्यायालयों सहित, उसके क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में कार्य या दलील नहीं दे सकता है। केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार प्रतिवादी-अधिवक्ताओं के खिलाफ इस फैसले के बारे में सभी अदालतों को सूचित करेंगे।"

13. बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम केरल उच्च न्यायालय (2004) 6 एससीसी 311 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार देखा है:

"29. अवमानना के लिए सजा और कदाचार, पेशेवर या अन्य कदाचार के लिए सज़ा, अलग-अलग स्तर पर हैं। किसी व्यक्ति को किसी भी न्यायालय में वकालत करने का मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार उसे अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदान किया गया है, जिसका आवश्यक अर्थ यह होगा कि उसमें निर्धारित शर्तें उसके संबंध में लागू होंगी। अधिनियम की धारा 30 "विषय" अभिव्यक्तियों का उपयोग करती है, जिसमें अधिनियम की धारा 34 शामिल होगी।

14. *आर के आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय (2009) 8 एससीसी 106 में*, इस न्यायालय ने देखा है कि अदालत की अवमानना का दोषी पाए जाने पर वकील को अदालत में पेश होने से रोका जा सकता है:

"238. *सुप्रीम कोर्ट बार एसो.* एक वकील को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अदालत में उपस्थित होने से रोकने के निर्देश को उसके कानून का अभ्यास करने के अधिकार से पूरी तरह से वंचित करने के रूप में देखा गया था और बार को उसे दी गई सजा के रूप में माना गया था। *पूर्व में. कैप्टन हरीश उप्पल* ने इसे पेशेवर कदाचार के लिए सजा के रूप में नहीं बल्कि अदालत की कार्यवाही को विनियमित करने और अदालतों की गरिमा और व्यवस्थित कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय के रूप में देखा। हम सम्मानपूर्वक यह जोड़ सकते हैं कि किसी दिए गए मामले में आपराधिक अवमानना के दोषी एक वकील को अदालत में पेश होने से रोकने का निर्देश न केवल अदालतों की गरिमा और व्यवस्थित कामकाज को बनाए रखने के लिए एक उपाय हो सकता है, बल्कि आत्म-सुरक्षा के लिए भी आवश्यक हो सकता है। अदालत और अदालती कार्यवाही की शुचिता के संरक्षण के लिए। आइए, उदाहरण के लिए, उस मामले को लें जहां एक वकील को न्यायाधीश के नाम पर या उसे प्रभावित करने के बहाने धन स्वीकार करते हुए दिखाया गया है; या जहां कोई वकील अदालत के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करता हुआ पाया जाता है; या जहां एक वकील को अदालत के फर्जी आदेशों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए पाया जाता है (कई उच्च न्यायालयों में फर्जी जमानत आदेश अज्ञात नहीं हैं!); या जहां एक वकील ने न्यायाधीशों को धमकाने और दुर्व्यवहार करने की आदत बना

ली है और उस आधार पर एक मामले को "असुविधाजनक" अदालत से स्थानांतरित कराने की प्रतिष्ठा अर्जित की है; या जहां एक वकील को न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों के खिलाफ वरिष्ठ अदालतों में निराधार और निराधार आरोप याचिकाएं भेजने की आदत पाई जाती है। दुर्भाग्य से, ये उदाहरण कल्पना से नहीं हैं। ये चीज़ें जितना हम स्वीकार करना चाहते हैं उससे कहीं अधिक बार घटित हो रही हैं।

239. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि ये दृष्टांत संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन ऐसे अन्य तरीके भी हो सकते हैं जिनमें एक अपराधी का आचरण और कार्य अदालती कार्यवाही की शुद्धता के लिए एक वास्तविक और आसन्न खतरा पैदा कर सकते हैं, जो कि किसी भी अदालत के कामकाज के लिए मौलिक है, इसके अलावा एक वास्तविक गठन भी हो सकता है। अपराध और अदालत की अवमानना और पेशेवर कदाचार। ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास न केवल अधिकार है, बल्कि उसका दायित्व भी है कि वह अपनी रक्षा करे और अपनी कार्यवाही की शुचिता को किसी भी तरह से प्रदूषित होने से बचाए और इसके लिए अपराधी को अदालत के समक्ष उपस्थित होने से रोके। उचित समयावधि.

240. यह पहले से ही उदाहरण में समझाया गया है। *कैप्टन हरीश उप्पल का कहना है* कि कोर्ट के इस तरह के निर्देश को पेशेवर कदाचार की सजा के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, अदालतों में उपस्थित होने पर प्रतिबंध संबंधित वकील के फैसले में बताए अनुसार अन्य तरीकों से अपनी कानूनी प्रैक्टिस जारी रखने के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। हम सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करते हैं कि *पूर्व कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ* मामले में निर्णय मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में रखता है और हमारे सामने मौजूद प्रश्न का उत्तर देने के लिए इसका पालन किया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

15. वर्तमान मामले में अधिवक्ता ने दायित्वों के विपरीत कार्य किया है। उन्होंने कोर्ट और जज की गरिमा को तार-तार करते हुए दूसरों के सामने खराब उदाहरण पेश किया है.' इस कार्रवाई से अदालतों पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। न्यायपालिका लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से

एक है और समाज के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक है। न्यायाधीश को निर्भीक एवं निष्पक्ष होकर न्याय करना होगा। उसे किसी भी तरह से डराया-धमकाया नहीं जा सकता या गालियां देकर अपमानित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश डरपोक संत नहीं हैं. उन्हें निडर उपदेशक बनना होगा ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखा जा सके जो लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है।

16. यह कृत्य न्यायालय की आपराधिक अवमानना के समान बताया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि संबंधित वकील ने माफी नहीं मांगी और अधीनस्थ न्यायालय को बदनाम और बदनाम किया है। उन्होंने खुलेआम इनकार किया है और अपने कदाचार के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया है। आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने एसआई को 6 महीने की कैद और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माना न भरने पर 15 दिनों के लिए एसआई की सजा भुगतनी होगी। उन्हें 15.7.2015 से शुरू होने वाली 6 महीने की अवधि के लिए इलाहाबाद के जजशिप में प्रवेश करने से रोक दिया गया है और उन्हें 2 साल की अवधि के लिए निगरानी में रखा गया है। कदाचार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक अवमानना के लिए दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, हम सजा को निम्नलिखित तरीके से संशोधित करते हैं:

1. 6 महीने की कारावास की सजा उसके अच्छे और उचित आचरण को बनाए रखने के अधीन 3 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए निलंबित रहेगी, इस शर्त के साथ कि वह तीन साल की अतिरिक्त अवधि के लिए जिला जजशिप, इलाहाबाद के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त जो वह पहले ही झेल चुका है। यह अवधि 1.7.2019 से 30.6.2022 तक शुरू होगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन न करने की स्थिति में तीन वर्ष के बाद की सजा माफ कर दी जाएगी।

2. हालाँकि, यदि यह पाया जाता है कि तीन साल की अवधि के दौरान संबंधित वकील द्वारा की गई किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया है, तो इस न्यायालय द्वारा कारावास की सजा को सक्रिय किया जा सकता है। 3. वह उच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया 2000 रुपये का जुर्माना जमा करेगा। जुर्माना जमा न करने की स्थिति में वह तीन महीने की अवधि तक जिला जजशिप के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

17. तदनुसार, अपील का निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं.

अंकित ज्ञान अपील निस्तारित

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।